

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572-245057

क्रमांक:- नविन्यास/नियमन/2024-25/00586

दिनांक:- 29.11.2024

प्रेषिती:-

नारुराम पुत्र श्री कालराम
जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा
तह. व जिला सीकर।

विषय:- राजस्व ग्राम राधाकिशनपुरा तह. सीकर के खसरा नम्बर 2591/1817 रकबा 0.4845 है।
भूमि में बालाजी विहार आवासीय योजना आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम राधाकिशनपुरा तह. सीकर के खसरा नम्बर 2591/1817 रकबा 0.4845 है। भूमि में बालाजी विहार आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अधधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
- योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनीकीविद की देख-रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों ओर सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
- समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होंगे तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
- वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में जमा करवाई गई है।
- टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
- योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
- भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू-खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
- योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
- आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 05, 08 व 14 कुल भू-खण्ड-3) भू-खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
- विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allottees).
- बोरिंग/द्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
- योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्न:- अनुमोदित योजना मानचित्र।

(जगदीश प्रसाद गौड़)

सचिव,

Signature valid

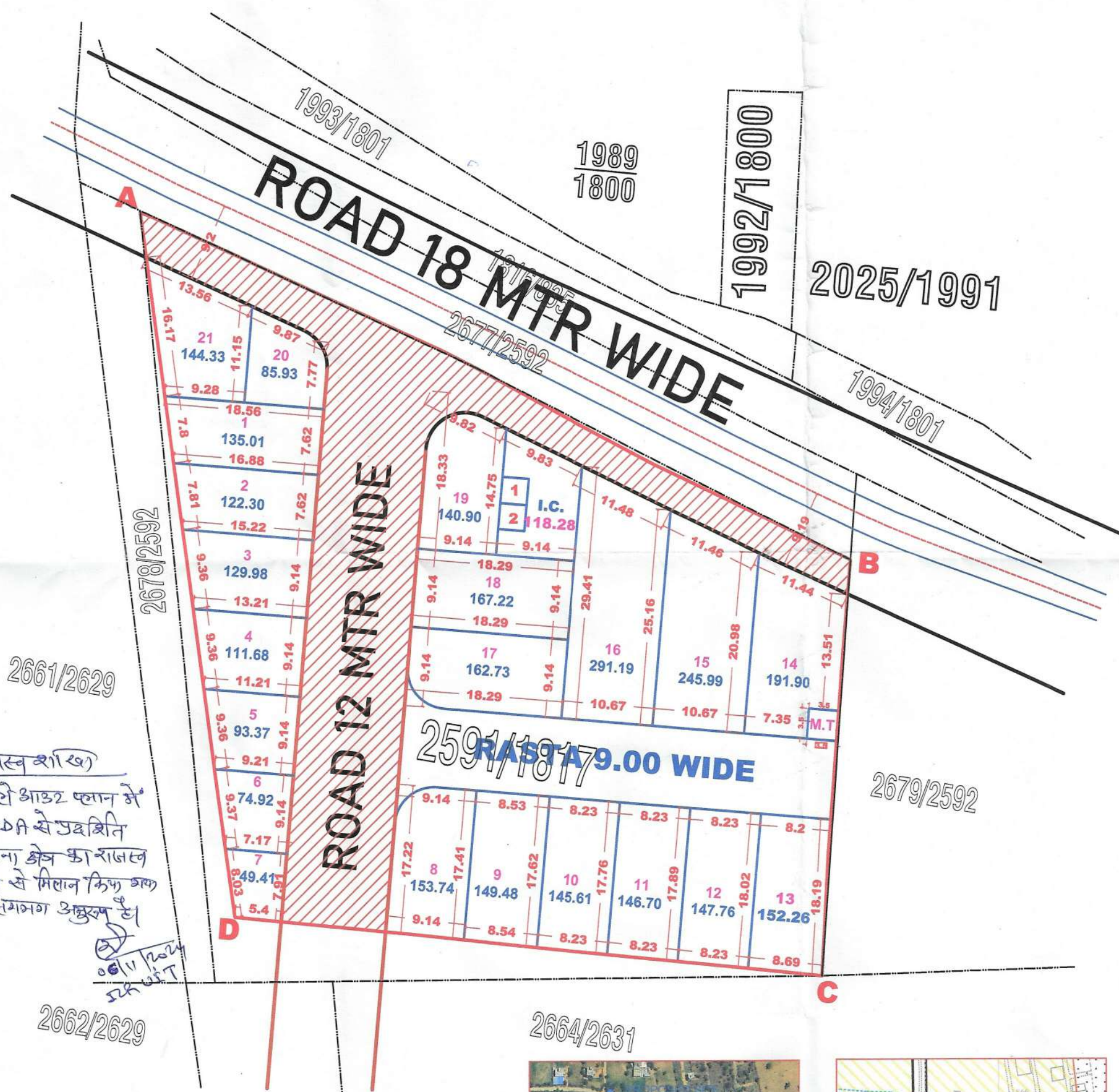
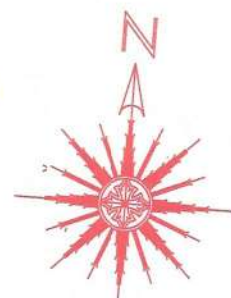
RajKaj Ref
12109890



Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation : Secretary
Date: 2024.11.29 15:05:15 IST
Reason: Approved

BALAJI VIHAR RESIDENTIAL SCHEME

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO. ²⁵⁹¹/₁₈₁₇, NEAR ASHIRWAD RESIDENCY, RADHAKISANPURA,
SIKAR REVENUE VILL. RADHAKISANPURA, DIST. SIKAR (RAJ.)
FOR- 90-A & RESIDENTIAL SCHEME
APPLICANT - NARU RAM S/o KALURAM



राजस्व शाखा
इस ले आउट प्लान में
ABCDA से उद्देशित
योजना क्षेत्र का राजस्व
नक्शे से मिलान किया गया
जो लगभग अनुसूचित है।

योजना का नाम BRARI VISHAL RESIDENTIAL SCHOOL का ले-आउट
आज दिनांक 12/11/24 को
लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।



GOOGLE PLAN MAP



SECTOR PLAN MAP

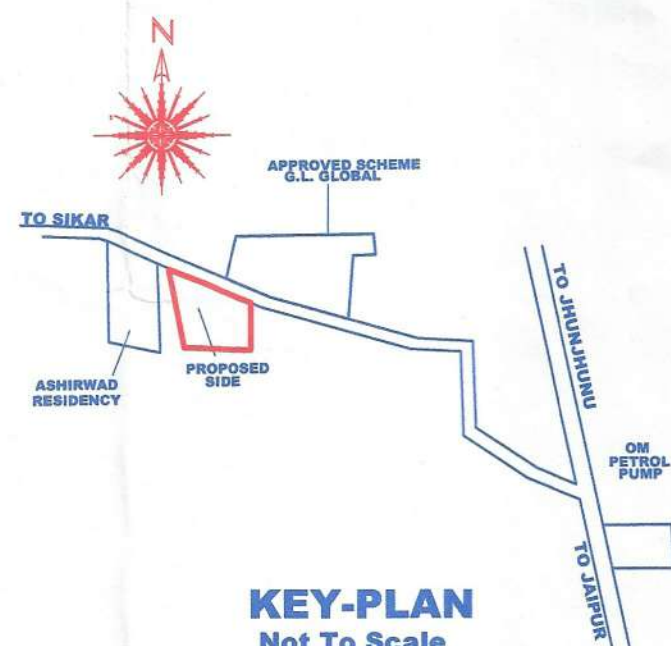
TOTAL AREA OF KH. NO. 2591/1817 =4845.00 SQ. MTR
TOTAL AREA FOR CONVERSION=4845.00 SQ. MTR

उप नगर नियोजक
नगर सुधार न्यास
सीकर

बी.एल. शर्मा
अधिकाारी अभियन्ता
न.वि. न्याय. सीकर

12.11.2027
सचिव
नगर विकास ब्याड, सीकर

**URBAN IMPROVEMENT TRUST
SIKAR**

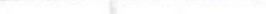


KEY-PLAN
Not To Scale

	AREA ANALYSIS		
S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	3042.61	62.80%
2.	INFORMAL COMMERCIAL	0118.30	02.44%
3.	MOBILE TOWER	0012.25	00.25 %
4.	SURRENDAR IN MASTER/ SECTOR PLAN ROAD	1200.59	24.78 %
5.	ROAD	0471.35	09.73 %
	TOTAL	4845.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PARTICULARS	NO.
2.	RESIDENTIAL PLOT'S	21
3.	INFORMAL COMMERCIAL	2
4.	MOBILE TOWER	1

	SCHEME BOUNDARY
	KHASRA LINE
	PLOT BOUNDARY
	MASTER PLAN ROAD
	SECTOR PLAN ROAD
	SURRENDER IN MASTER/ SECTOR PLAN ROAD

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SCALE-1 C.M. = 5.0 MTR